राजकीय मेल

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(25)एल–11/गोप्र/प्रमुवसं–08066/ दिनांक :

निमित

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, आर.एफ.बी.पी. जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/(वन्यजीव), जोधपुर/(वन्यजीव), उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का (अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी. कोटा/एफ.पी.आर.पी. जयपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक, परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर/ निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।

विषय : दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति पर विचार नहीं किये गये लोकसेवकों की डी.पी.सी. को रिव्यू करवाये जाने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय के पत्रांक 5996–6021 दिनांक 19.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 7(1)कार्मिक/क–2/95 पार्ट जयपुर दिनांक 16.03.2023 द्वारा राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2023 प्रसारित किये जाने के कारण दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति पर विचार नहीं किये गये लोकसेवकों की डी.पी.सी. को रिव्यू किया जाना है।

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग के परिपत्र दिनाक 24.05.2023 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन कार्मिकों को नियमानुसार तत्समय 2 से अधिक संतान होने के कारण नियत तिथि को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था, अब उन्हें इस अधिसूचना के क्रम में नियत तिथि से पदोन्नति देने की कार्यवाही के संबंध में आप द्वारा प्रेषित छाया पद के प्रस्ताव वित्त विभाग से उनके लिए छाया पद स्वीकृत हेतु भिजवा दिया गये हैं। तत्पश्चात पदोन्नति दिये जाने हेतु रिव्यू डीपीसी के प्रकरण कार्मिक विभाग में सहमति हेतु भिजवाये जाने की कार्यवाही की जानी हैं।

संदर्भित पत्र में आपको निर्देशित किया गया था कि "आप बिन्दु संख्या 1 में उल्लेख कार्मिकों के रिव्यू डीपीसी के समस्त प्रकरण तैयार कर अपने कार्यालय में संधारित कर लेवें ताकि छाया पद स्वीकृति के पश्चात् तत्काल प्रकरण कार्मिक विभाग में सहमति हेतु भिजवाया जा सकें।"

अतः क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 9 पर अंकित कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) के कार्मिकों के रिव्यू डीपीसी के संकलित प्रस्ताव नियमानुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 एवं समय–समय पर जारी अन्य परिपत्र एवं निर्देशानुसार रिव्यू डीपीसी हेतु प्रकरण मय सुसंगत दस्तावेजों **(डीपीसी आयोजित करने हेतु बैठक का कार्यालय आदेश की प्रति, डीपीसी वर्ष की निम्न पद व उच्च पद की वरिष्ठता सूची, संबंधित डीपीसी का प्रश्नावली एवं बैठक कार्यवाही विवरण आदि)** के साथ दिनांक 26.09.2023 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(25)एल–11/गोप्र/प्रमुवसं–08066/ 7992-8076/C दिनांक : 20.09.2023

प्रतिलिपि –

1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी/भू–संरक्षण अधिकारी को पालनार्थ।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Arijit Banerjee
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.09.18 15:38:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4682927